



डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)
(Accredited Grade A+ by NAAC)

पत्रांक: COE/ 558 /2024

दिनांक: 31/12/2024

सेवा में,

सहायक निदेशक,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
5th फिलोर लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली- 110003

विषय:- श्री गोविन्द पासवान पुत्र स्व० श्री बिनदेशवर पासवान, निवासी- बी, 308 राजीव गाँधी केम्प चित्रा बिहार, दिल्ली का पुनः परीक्षा देने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या: ESDW/IP/DL/2024/246411 दिनांक 27.11.2024 का सन्दर्भ में सादर अवगत कराना हे कि उक्त प्रकरण में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.08.2024 के मद संख्या 03 में निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

1. छात्रहित में प्रश्नगत छात्र को पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गयी।
2. विश्वविद्यालय संकायाध्यक्ष द्वारा छात्रहित में प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
3. सत्र 2023-24 से एलएल0बी0 एवं बी0ए0एलएल0बी0 प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष के परिणाम में योग करते समय प्रयोगिक परीक्षा के प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए समस्त प्रश्नपत्रों के योग में 48 प्रतिशत की गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4. छात्र को पुनः परीक्षा में अनुमति के प्रकरण को भविष्य में नजीर न माना जाए।

कृपया परीक्षा समिति के उपर्युक्त वार्णित निर्णय से सादर अवगत होने का कष्ट करें।

31
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित प्राचार्य।
2. उपकुलसिचव परीक्षा/गोपनीय।
3. प्रभारी, कुलपति कार्यालय को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय।
5. श्री गोविन्द पासवान पुत्र स्व० श्री बिनदेशवर पासवान, निवासी- बी, 308 राजीव गाँधी केम्प चित्रा बिहार, दिल्ली।
6. एजेन्सी 2024 को इस आशय के साथ प्रेषित कि परीक्षा समिति के निर्णय अनुपालन में प्रश्नगत परीक्षार्थी का पुनः परीक्षा का आवेदन पत्र ऑनलाइन सम्बन्धित महाविद्यालय के माध्यम से पूरित कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक